IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction)

M.J.C.No.   of 2012 (Contempt)

Ajay Prasad ..... Petitioner

Versus

The State of Bihar and others ....Opp. Parties.

Subject: Contempt Matter

INDEX

Sl.No.	Particulars	Pages
1.	An application with Affidavit	1-7
2.	Annexure-1 & 1/A: True photo copies of order dated 22.6.2012 and 27.8.12	
3.	Annexure-2 & 2/A: True photo copies of representation dated 30.7.12 and 24.9.12	
4.	Annexure-3: A true copy of letter dated 10.9.12	
5.	Vakalatnama	

* * * * *

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

(Miscellaneous Judicial Jurisdiction)

M.J.C.No. /2012 (Contempt)

In the matter of an application under section 12 and 14 of the Contempt of Court Act read with 215 of the Constitution of India.

and

In the matter of:-

Ajay Prasad S/o Late Shiyaram Yadav, Resident of Abhaila-Professor Colony Kabristan Road, Ward No.-6, P.S. & Block- Madhepura, Distt. Madhepura at Present as Assistant Teacher in Middle School Bhadaul Anchal-Madhepura, Distt. Madhepura ...... Petitioner

Versus

1. Amarjeet Sinha S/o not known to the petitioner,

Commissioner-cum-Secretary, Department of Human Resources, Govt. of Bihar, Patna.

2. Prabhat Ranjan, S/o not known, the Regional Deputy Education Director, Kosni Division Saharsa.

3. Malindra Kumar Sinha, S/o knot known , District Education Officer, Madhepura.

4. Amerika Prasad, S/o not known, the District Programme Officer (Establishment) Madhepura)

5. Balkrishna Yadav S/o not known, The Drawing and Disbrusing Officer Marked Middle School Bhirkhi, Madhepura,

6. Kumari Nishawala W/o not known, Block Education Extension Officer, Madhepura.

..... Opposite Parties.

To,

The Hon'ble Ms. Justice Rekha M. Doshit, the Chief Justice of the High Court of Judicature at Patna and Her companion justices of thw said Hon'ble Court.

The humble petition on behalf of the petitioner above named;

Most Respectfully Sheweth;-

1. That this is an application for initiation of a contempt proceeding against the aforesaid opposite parties for wilfully disobedience of the order passed by this Hon'ble & Mr. Justice Navin Sinha on 22.6.2012 and 27.8.12 in CWJC No. 10403/2012.

2. That the writ petition was filed by the petitioner vide CWJC No. 10403/12 in which the Hon'ble Justice was pleased to quash the order dated 18.4.12 and further given a direction to pass reason and speaking order within a period of three months.

A true photo copy of order dated 22.6.2012 and 27.8.12 is being annexed herewith and marked as Annexure-1 & 1/A to this petition.

3. That the petitioner filed representation on 30.7.12 with a copy of this court's order and dated 24.9.12 but no order was passed till today.

A true photo/typed copy of representation dated 30.7.12 and 24.9.12 is being annexed herewith and marked as Annexure-2 & 2/A to this petition.

4. That it is relevant to mention here that matter ~~was~~ was heard by the opposite party no.4 on 24.9.12 in presence of both side but no order was passed till today.

A true photo copy of letter dated 10.9.12 is being annexed and marked as Annexure-3 to this petition.

5. That it is relevant to mention here that

no any action taken by the authority concerned/as yet. The petitioner is in great want to the implementation of the aforesaid order but he has not passed any order in this regard.

6. That the petitioner is in great mental agony due to non-redressal of their grievance.

7. That the petitioner has not moved earlier in contempt petition and has come for the first time in this regard.

8. That the petitioner has no any other alternative or efficacious remedy except to move before this Hon'ble Court.

It is, therefore, prayed that your Lordships may graciously be pleased to admit this application issue notice to the opposite party and afte hearing the parties further be pleased to initiate the contempt

proceeding against the opposite parties and punished to concerned opposite parties for wilfully disobedience of the Hon'ble Court.

And/or

Pass such other order/orders as your Lordships may deem fit and proper.

And for this the petitioner shall ever pray.

AFFIDAVIT

I, Ajay Prasad, aged about 44 yrs, S/o Late Shiyaram Yadav, R/o Mohalla- Professor Colony Kabristan Road, Ward No.6, P.S. & Block- Madhepura, Dist. Madhepura at present as Assistant Teacher in Middle School Bhadaul Anchal- Madhepura, Dist. Madhepura, do hereby solemnly affirm and state as follows:-

1. That I am petitioner in this case and as such well acquainted with the facts and circumstances of this case.

2. That the contents of this petition have been read over and explained to me in Hindi which I have fully understood the same and are true to my knowledge and belief.

3. That the Annexures are photo copies of their respective originals.

Annexure-A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.10403 of 2012

1. Ajay Prasad S/O Late Shiyaram Yadav Resident Of Mohalla Professor Colony, Kabristan Road, Ward No. 6, P.S. & Block Madhepura, Distt. Madhepura. At Present As Assistant Teacher Middle School Bhadaui Anchal, Madhepura, District- Madhepura

.... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar Through Commissioner Cum Secretary, Department Of Human Resources, Government Of Bihar, Patna
2. The Regional Deputy Education Director, Koshi Division, Saharsa
3. The District Education Officer. Madhepura
4. The District Programme Officer (Establishment), Madhepura
5. The Drawing And Disbursing Officer Marked Middle School, Bhirkhi, Madhepura
6. The Block Education Extension Officer, Madhepura

.... Respondent/s

Appearance :

For the Petitioner/s : Mr. Kumar Vishoka Nand
For the Respondent/s : Mr. Ashok Kumar Keshri Aag11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA

ORAL ORDER

2 22-06-2012 Heard learned counsel for the petitioner and the State.

The petitioner is aggrieved by the order dated 18.04.2012 issued by the Drawing and Disbursing Officer deducting a sum of Rs. 4952.00 as excess salary paid in the B.A. Trained Scale.

Learned counsel for the petitioner submits that the order to his prejudice is in violation of the principles of natural justice. If any objections had been taken the petitioner was required to be noticed and heard before the benefit of the B.A.

Trained Scale already given to him was to be interfered with visiting him with adverse consequences. Without prejudice to the same, it is submitted that no excess payment in the B.A. Trained Scale has been made to him. He was rightly given the B.A. Trained Scale by an order dated 18.06.2011 with effect from 19.12.2009. The impugned order does not mention any reasons why and how the payment was in excess. More particularly after fixation of salary on 19.06.2011.

Counsel for the State submits that recovery has already been effected. The petitioner may be directed to represent and the authorities may examine matters.

From the impugned order it is apparent that the Drawing and Disbursing Officer was submitting an explanationto the District Programme Officer in respect to the payments made to the petitioner in the B.A. Trained Scale. There is no discussion in the order that the petitioner was noticed before effecting the deduction much less any reasoning how and why, in what manner an excess amount of Rs. 4952.00 had been paid to the petitioner between July 2011 to February 2012. The B.A. Trained Scale is not even mentioned in the order much less the disbursement made to the petitioner. Now that recovery has already been made because the order may be in violation of principles of natural

justice the Court is not persuaded to set aside the order and direct refund.

Appropriate directions are issued setting aside the order dated 18.04.2011 directing the respondents to furnish in writing the grounds to the petitioner on basis of which the impugned order has been passed giving him an opportunity to submit his defence. A reasoned and speaking order be then passed by the District Programme Officer within a maximum period of three months from the date of receipt and/or production of a copy of this order. Should the respondents accept the defence furnished by the petitioner, they shall be obliged to refund the amount recovered as excess payment. Conversely if they opine that excess amount had been paid they shall pass a reasoned order so that the petitioner may be made aware on the grounds to pursue his remedy as he may be advised.

The application is allowed.

Sd/- (Navin Sinha, J.)

Md. Ibrarul/-

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
11-9-2012
For Joint Registrar (J)
Patna High Court
Authorised U/S 76 Act 1 of 1872

S. K. Mukherji
11/09/12
A.S.O
20/08/9238

Annexure-6/A

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.10403 of 2012

Ajay Prasad .... Petitioner/s

Versus

The State Of Bihar & Ors .... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Kumar Vishoka Nand
For the Respondent/s : Mr. Ashok Kumar Keshri Aag 11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA
ORAL ORDER

3 27-08-2012 The order dated 22.6.2012 in the last Paragraph is modified to the extent that "18.4.2011" be corrected to read as "18.4.2012" in accordance with Paragraph 1 of the same.

The order is modified to that extent only.

Sd/- **(Navin Sinha, J)**

P. Kumar/-

CERTIFIED TO BE TRUE PHOTO COPY
11.9.2012
For Joint Registrar (J)
Patna High Court
Authorised U/S 76 Act 1 of 1872

S.K. Mukharji
11/09/12
A.S.O
20/08/19 v 38

Annexure-8

सेवा में,

श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना), मधेपुरा ।

विषय : बी.ए. प्रशिक्षित वेतनमान् में पुन: बहाल करने एवं वसूल की गई राशि के पुनर्भुगतान के सम्बन्ध में ।

प्रसंग : माननीय उच्च न्यायालय, पटना के सी.डब्लू.जे.सी. नं. 10403/12 में पारित आदेश ।

30/7/12

महाशय,

सादर निवेदन पूर्वक कहना है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, कार्यालय, मधेपुरा ज्ञापांक 436-316 दिनांक 28.8.94 में मेरी नियुक्ति हुई है और ज्ञापांक 1513-200 दिनांक 28.10.94 के निदेशानुसार वेतन भुगतान होता आ रहा है । तदनुसार ज्ञापांक 217-3 दिनांक 25.01.2002 के आदेशानुसार दिनांक 21.09.97 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् प्राप्त है । प्रोन्नति नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् में आठ वर्षों की सेवा के उपरांत स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् का लाभ दिया जाता है । ज्ञातव्य हो कि मेरी शैक्षणिक योग्यता नियुक्ति से पूर्व ही एम.ए. की है ।

प्रोन्नति नियमावली में निहित प्रावधान के हवाला देकर तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा से स्नातक वेतन की माँग की, अनसूनी करने पर मैं क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् के लिए अनुरोध पत्र दिया । अनुरोध पत्र के आलोक में क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 1813 (नि.) दिनांक 19.12.09 जो जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा को पत्र निर्गत की तिथि से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् देने हेतु निर्देश दिया । साथ ही भविष्य में जिला शिक्षा स्थापना समिति की बैठक में स्थापना से रिक्ति क्रम में श्री प्रसाद को उच्च वेतनमान् में लाभ देने का निर्णय लिया जा सकता है ।

उक्त पत्र के आलोक में जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा ने अपने कार्यालय ज्ञापांक 1005 दिनांक 18.6.11 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृत किये । पत्र के आलोक में पदस्थापित मध्य विद्यालय, मदौल से मुझे 18 जून, 2011 से स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक का वेतनमान् में भुगतान किया गया । क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के आदेशानुसार दिनांक 19.12.2009 से 17 जून, 2011 तक की राशि बकाया है, जिसे एरियर के रूप में देना था ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मधेपुरा के पत्रांक 64 दिनांक 18.4.12 के द्वारा बिना कोई सूचना दिये मेरे वेतन से 4952=00 (चार हजार नौ सौ बावन) रूपये की वसूली कर ली गई है । वसूली का आधार यह दिया

गया है कि आपके स्नातक वेतन में अधिक भुगतान की गई है । यहाँ उल्लेखनीय है कि मुझे स्नातक वेतनमान् से अधिक राशि नहीं दिये हैं । इस आदेश के विरूद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर किया, जिसका सी. डब्लू. जे. सी. नम्बर - 10403/2012 है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायाधीश श्री नवीन सिन्हा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मधेपुरा चिन्हित आदर्श मध्य विद्यालय, भिरखी बाजार, मधेपुरा के दिनांक 18.4.12 के वसूली आदेश को निरस्त कर दिया है । साथ ही आदेश दिया गया है कि इसे वापस किया जाय ।

माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश में टंकण भूलवश दिनांक 18.4.12 के बदले 18.4.11 लिखा गया है, जिसे मैं सुधार करवाकर पुनः सुधार आदेश की प्रति उपलब्ध करा दूँगा ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि माननीय उच्च न्यायालय, पटना के पारित आदेश दिनांक 22.06.12 के आलोक में आवश्यक कार्रवाई की जाय ।

अनुलग्नक :-

माननीय उच्च न्यायालय में रिट सी. डब्लू. जे. सी. नं. 10403/12 के आदेश का वेब कॉपी ।

विश्वासभाजन

अजय प्रसाद 3/7/12

(अजय प्रसाद)

सहायक शिक्षक

मध्य विद्यालय, मदौल

प्रखंड-मधेपुरा जिला-मधेपुरा ।

WEB COPY
NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA

Civil Writ Jurisdiction Case No.10403 of 2012

1. Ajay Prasad S/O Late Shiyaram Yadav Resident Of Mohalla Professor Colony, Kabristan Road, Ward No. 6, P.S. & Block Madhepura, Distt. Madhepura. At Present As Assistant Teacher Middle School Bhadaul Anchal, Madhepura, District- Madhepura

.... Petitioner/s

Versus

1. The State Of Bihar Through Commissioner Cum Secretary, Department Of Human Resources, Government Of Bihar, Patna
2. The Regional Deputy Education Director, Koshi Division, Saharsa
3. The District Education Officer, Madhepura
4. The District Programme Officer (Establishment), Madhepura
5. The Drawing And Disbursing Officer Marked Middle School, Bhirkhi, Madhepura
6. The Block Education Extension Officer, Madhepura

.... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s : Mr. Kumar Vishoka Nand
For the Respondent/s : Mr. Ashok Kumar Keshri Aag11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA
ORAL ORDER

2 22-06-2012 Heard learned counsel for the petitioner and the State.

The petitioner is aggrieved by the order dated 18.04.2012 issued by the Drawing and Disbursing Officer deducting a sum of Rs. 4952.00 as excess salary paid in the B.A. Trained Scale.

Learned counsel for the petitioner submits that the order to his prejudice is in violation of the principles of natural justice. If any objections had been taken the petitioner was required to be noticed and heard before the benefit of the B.A.

Trained Scale already given to him was to be interfered with visiting him with adverse consequences. Without prejudice to the same, it is submitted that no excess payment in the B.A. Trained Scale has been made to him. He was rightly given the B.A. Trained Scale by an order dated 18.06.2011 with effect from 19.12.2009. The impugned order does not mention any reasons why and how the payment was in excess. More particularly after fixation of salary on 19.06.2011.

Counsel for the State submits that recovery has already been effected. The petitioner may be directed to represent and the authorities may examine matters.

From the impugned order it is apparent that the Drawing and Disbursing Officer was submitting an explanationto the District Programme Officer in respect to the payments made to the petitioner in the B.A. Trained Scale. There is no discussion in the order that the petitioner was noticed before effecting the deduction much less any reasoning how and why, in what manner an excess amount of Rs. 4952.00 had been paid to the petitioner between July 2011 to February 2012. The B.A. Trained Scale is not even mentioned in the order much less the disbursement made to the petitioner. Now that recovery has already been made because the order may be in violation of principles of natural

justice the Court is not persuaded to set aside the order and direct refund.

Appropriate directions are issued setting aside the order dated 18.04.2011 directing the respondents to furnish in writing the grounds to the petitioner on basis of which the impugned order has been passed giving him an opportunity to submit his defence. A reasoned and speaking order be then passed by the District Programme Officer within a maximum period of three months from the date of receipt and/or production of a copy of this order. Should the respondents accept the defence furnished by the petitioner, they shall be obliged to refund the amount recovered as excess payment. Conversely if they opine that excess amount had been paid they shall pass a reasoned order so that the petitioner may be made aware on the grounds to pursue his remedy as he may be advised.

The application is allowed.

(Navin Sinha, J.)

Md. Ibrarul/-

WEB COPY NOT OFFICIAL

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT PATNA
Civil Writ Jurisdiction Case No.10403 of 2012

Ajay Prasad

.... Petitioner/s

Versus

The State Of Bihar & Ors

.... Respondent/s

Appearance :
For the Petitioner/s Mr. Kumar Vishoka Nand
For the Respondent/s : Mr. Ashok Kumar Keshri Aag11

CORAM: HONOURABLE MR. JUSTICE NAVIN SINHA
ORAL ORDER

3 27-08-2012 The order dated 22.6.2012 in the last Paragraph is modified to the extent that "18.4.2011" be corrected to read as "18.4.2012" in accordance with Paragraph 1 of the same.

The order is modified to that extent only.

P. Kumar/- **(Navin Sinha, J)**

Annexure-7/A

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
(स्थापना) मधेपुरा ।

विषय : सी. डब्लू. जे. सी. नं. 10403/12 में माननीय उच्च न्यायालय के न्यायादेश दिनांक 22.06.2012 के आलोक में ।

प्रसंग : स्थापना शाखा के पत्रांक 1921 दिनांक 10.9.12 द्वारा सी. डब्लू. जे. सी. नं. 10403/12 अजय प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 22.06.12 के आलोक में दिये गये दिशा-निर्देश में, आपके द्वारा दिये गये आदेश में उपस्थित होने के सम्बन्ध में ।

प्राप्त 24.9.12

महाशय,

सादर अंकित करना है कि तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय ज्ञापांक 436-316 दिनांक 28.8.94 को मेरी नियुक्ति हुई है । और ज्ञापांक 1513-200 दिनांक 28.10.94 के निदेशानुसार नियमित वेतन भुगतान होता आ रहा है । तदनुसार ज्ञापांक 217-3 दिनांक 25.02.2002 के आदेशानुसार दिनांक 21.09.97 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् प्राप्त है । प्रोन्नति नियमावली में निहित प्रावधान के अनुसार मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् में आठ वर्षों की सेवा पूरी होने के उपरांत प्रोन्नत वेतनमान् (स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान्) दिया जाता है । मैं लगातार 12 वर्षों तक मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान् में कार्यरत रहा हूँ ।

प्रोन्नति नियमावली में निहित प्रावधान के हवाला देकर तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् की मांग करते आ रहा था । परन्तु जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा द्वारा कोई सुनवाई नहीं करने के उपरांत विभागीय उच्चाधिकारी श्रीमान् क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् के लिए अनुरोध पत्र दिया । अनुरोध पत्र को सही मानते हुए श्रीमान् क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के पत्रांक 1813 (नि.) दिनांक 19.12.2009 द्वारा तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा को निदेश दिये कि श्री प्रसाद को पत्र निर्गत यानि दिनांक 19.12.09 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् दिया जाय । श्रीमान् क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के निदेश का अनुपालन करते हुए तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, महोदय, मधेपुरा के कार्यालय ज्ञापांक 1005 दिनांक 18.06.11 के द्वारा मुझे दिनांक 19.12.2009 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् स्वीकृति के लिए पत्र निर्गत किये । पत्र के आलोक में वित्त विभाग बिहार, पटना के संकल्प संख्या- 630 वि. दिनांक 21.01.10 द्वारा मेरा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् निर्धारण कर पदस्थापित मध्य विद्यालय, मदौल प्रखंड-मधेपुरा से मुझे 18 जून, 2011 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् में भुगतान किया गया । श्रीमान् क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के आदेशानुसार दिनांक 19.12.2009 से 17 जून, 2011 तक ही राशि बकाया

है, जिसे एरियर के रूप में देना था ।

निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी चिन्हित आदर्श मध्य विद्यालय, भिरखी बाजार, मधेपुरा के पत्रांक 64 दिनांक 18.4.12 के द्वारा मुझे बिना कोई सूचना दिये मेरे वेतन से 4,952/- §चार हजार नौ सौ बावन§रूपये की वसूली कर ली गई । वसूली का आधार यह दिया गया है कि आपको स्नातक प्रशिक्षित वेतन में अधिक भुगतान की गई । यहाँ उल्लेखनीय है कि मुझे स्नातक प्रशिक्षित वेतन से अधिक राशि नहीं दिये हैं । इस आदेश के विरुद्ध मैंने माननीय उच्च न्यायालय, पटना में एक रिट याचिका दायर किया । जिसका सी.डब्लू.जे.सी.नंबर-10403/12 है । माननीय उच्च न्यायालय,पटना के न्यायाधीश, माननीय श्री नवीन सिन्हा दोनों पक्षों के सुनने के उपरांत निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी चिन्हित आदर्श मध्य विद्यालय, भिरखी बाजार,मधेपुरा के दिनांक 18.4.12 के वसूली आदेश को गलत मानते हुए निरस्त कर दिया है । जिसे न्यायादेश के पारित आदेश दिनांक 22.06.12 में देखने की कृपा किया जाय ।

माननीय उच्च न्यायालय,पटना के सी.डब्लू.जे.सी.नम्बर- 10403/12 में श्रीमान् जिला कार्यक्रम पदाधिकारी §स्थापना§ मधेपुरा को न्यायादेश दिये हैं कि आप तीन महीना के अन्दर जाँच करें कि श्री प्रसाद को स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् से अधिक राशि दी गई है । जिसे न्यायादेश में देखने की कृपा किया जाय । उक्त न्यायादेश के अनुपालन में आपके कार्यालय पत्रांक 1921 दिनांक 10.09.2012 द्वारा मुझे पत्र निर्गत कर दिनांक 24.09.2012 को 11.00 बजे पूर्वाह्न् में अपने साक्ष्य के साथ कार्यालय वेश्म में उपस्थित होने का आदेश प्राप्त हुआ है । उक्त आदेश के अनुपालन में मैं स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् में अधिक राशि नहीं लिया है । इसके लिए श्रीमान् को निम्न साक्ष्य प्रस्तुत करता हूँ :-

§1§ तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक,मधेपुरा के कार्यालय ज्ञापांक 1005 दिनांक दिनांक 18.06.11 के द्वारा श्रीमान् क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक,कोशी प्रमंडल,सहरसा के आदेश का अनुपालन करते हुए दिनांक 19.12.09 से पदस्थापित मध्य विद्यालय, मदोल प्रखंड-मधेपुरा से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् की स्वीकृत आदेश की छाया प्रति ।

§2§ तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक,मधेपुरा के कार्यालय ज्ञापांक 1005 दिनांक 18.6.11 के आदेशानुसार स्नातक प्रशिक्षित वेतन निर्धारण वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या 630 वि. दिनांक 21.01.10 के आलोक में की गई है, छाया प्रति संलग्न ।

§3§ वर्ष 2009 में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक,मधेपुरा द्वारा प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी,मधेपुरा से माँग की गई स्नातक वेतनमान् में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के वेतनमान् में प्रोन्नति हेतु सूची में क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक,कोशी प्रमंडल,सहरसा के आदेश को आधार मानकर मेरा नाम भेजा गया है । छाया प्रति संलग्न ।

{4} जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा {स्थापना शाखा} द्वारा स्नातक वेतनमान् में कार्यरत शिक्षकों की औपबंधिक वरीयता सूची में क्रमांक 41 पर मेरा नाम अंकित है । छाया प्रति संलग्न ।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त सभी साक्ष्य आपके कार्यालय से निर्गत है जो सही है । माननीय उच्च न्यायालय, पटना के न्यायादेश के अनुपालन में मेरा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् में वेतन निर्धारण वित्त विभाग, बिहार, पटना के संकल्प संख्या 630 वि. दिनांक 21.01.10 के आलोक में तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय द्वारा किया गया है । जिसे श्रीमान् देखने की कृपा किया जाय । मुझे स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् में अधिक राशि की भुगतान नहीं की गई है । निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी चिन्हित आदर्श मध्य विद्यालय, मिरखी बाजार, मधेपुरा जबरन अपने अधिकार का उपयोग करते हुए मेरा वेतन काट लिया है । माननीय उच्च न्यायालय के पारित न्यायादेश दिनांक 22.6.12 के सम्मान में वसूल की गई राशि को पुनः मुझे देने का आदेश प्रखंड निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, मधेपुरा को देने की कृपा किया जाय ।

अनुलग्नक :-

1. तत्कालीन जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा के कार्यालय पत्रांक 1005 दिनांक 18.6.11 द्वारा स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान् आदेश की छाया प्रति ।
2. ज्ञापांक 1005 दिनांक 18.6.11 के आलोक में वित्त विभाग बिहार के संकल्प संख्या-630 दिनांक 21.01.10 के द्वारा स्नातक प्रशिक्षित वेतन निर्धारण की छाया प्रति ।
3. वर्ष 2009 में प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, द्वारा स्नातक वेतनमान् में कार्यरत शिक्षक की भेजी गई सूची की छाया प्रति ।
4. जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा {स्थापना शाखा} के औपबंधिक सूची में मेरा नाम क्रमांक 41 पर अंकित सूची की छाया प्रति ।

विश्वासभाजन

अजय प्रसाद 24.9.12

{अजय प्रसाद}
सहायक शिक्षक
मध्य विद्यालय, भदौल
प्रखंड - मधेपुरा ।

स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु प्रपत्र

जिला शिक्षा अधीक्षक मधेपुरा

वित्त विभाग बिहार के सकल्प सख्या 630 वि0 दिनाक 21.01.10 के आलोक मे
ज्ञापाक 1005 दिनाक 18-06-11 द्वारा दिनाक 19-12-9 स स्वीकृत

01. नाम एव पदनाम – श्री अजय प्रसाद
02. कार्यालय / विद्यालय :– मध्य विद्यालय मधौल, मधेपुरा(पूर्व)
03. जन्म तिथि :– 02.01.1968
04. नियुक्ति तिथि :– 30-8-1994
05. वेतनमान प्राप्ति तिथि :– 19.12.09
06. पूर्व का वैन्ड वेतन ग्रेड वेतन :– 9300-34800+4200
07. दिनांक 01.01.06 को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन :– 14430
08. दिनाक 19.12.09 को वैनड वेतन ग्रड वेतन + वेतन वृद्धि :– 16260+490
09. दिनांक 19.12.09 को नये एवं पुराने ग्रेड वेतन का अंतर :– 16750 400
10. दिनांक 19.12.09 का वेतन :– 17150
11. अगली वेतन वृद्धि 1.7.10 =

1.7.10 = 17670

रामशरण पासवान 18-6-11
विकास CUM D.D.O
Madhepura Block
Adarash Middle School
Bhiddhi Bazar.

19/6/11
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी
क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी
मधेपुरा

19/6/11
जिला शिक्षा अधीक्षक
जिला शिक्षा अधीक्षक
मधेपुरा
19/6/11

कार्यालय, जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा ।

कार्यालय-आदेश
============

क्षेत्रीय शिक्षा उप-निदेशक, कोशी प्रमंडल, सहरसा के ज्ञापांक 1813 (नि.) दिनांक 19.12.09 के आदेशानुसार श्री अजय प्रसाद, सहायक शिक्षक, मध्य विद्यालय, मदौल अंचल-मधेपुरा को दिनांक 19.12.2009 से स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान (5500 - 9000) में पदस्थापित विद्यालय से वेतन भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है ।

जिला शिक्षा अधीक्षक,
मधेपुरा ।

ज्ञापांक 1005 ..../मधेपुरा, दिनांक 18-06-11 ..../

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, मधेपुरा/क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं संबंधित/शिक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

18/6/11
जिला शिक्षा अधीक्षक,
मधेपुरा । 18/6/11

स्नातक वेतनमान में कार्यरत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक के वेतनमान में प्रोन्नति हेतु सूची

स्नातकोत्तर प्रपत्र - ग प्रखण्ड - मधेपुरा

क्रम सं०	शिक्षक का नाम	विद्यालय का नाम	प्रखण्ड	जाति	कोटि	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	मौलिक प्रशि० वेतनमान प्राप्ति तिथि	स्नातकोत्तर उत्तीर्णता वर्ष	स्नातक योग्यता नियमित	स्नातक योग्यता स्वतंत्र	विश्वविद्यालय का नाम	सेवाकाल में योग्यता प्राप्ति हेतु सक्षम पदा० का आदेश सं०	अन्तर्जिला के मामले में इस जिला में योगदान तिथि	अभ्युक्ति
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16
01	श्री अजय प्रसाद	म० वि० मधेपुरा	मधेपुरा	यादव	पि०व०	02-01-68	30-06-94	21-09-97	1995	नियमित	—	भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मधेपुरा	—	—	

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी
मधेपुरा
25.12.09

क्र० सं०	शिक्षक/शिक्षिका का नाम	विद्यालय का नाम	प्रखंड	कोटि	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि	मैट्रिक प्र० वेतनमान प्राप्ति तिथि	स्नातक कला/विज्ञान उत्तीर्णता वर्ष	नियमित/स्वतंत्र/पूर्ववर्ती	विश्व वि० का नाम	स्नातक वेतनमान प्राप्ति तिथि	ग्रेड पे 4600 प्राप्ति तिथि	ग्रेड पे 4800 प्राप्ति तिथि	ग्रेड पे 5400 प्राप्ति तिथि	स्नातकोत्तर उत्तीर्णता वर्ष	नियमित/स्वतंत्र/पूर्ववर्ती	विश्व विद्यालय का नाम	अन्तर जिला मामले में इस जिला में योगदान तिथि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	9	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	10	20
41	अजय प्रसाद	म० वि० भदौल	मधेपुरा	पि०व०	2-Jan-68	30/8/1994	21/9/1997	Arts-1989	नियमित	L.N.M.U	19/12/2009	19-Dec-09			1893	नियमित	B.N.M.U		बी०पी०एस०सी० द्वारा चयनित एवं वर्ष 1994 में मैट्रिक अप्रशिक्षित के वेतनमान में नियुक्त, उच्चतर योग्यताधारी होने के फलस्वरूप मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान पूर्व में दिया गया, बाद में आर०ए० बी०एड० कॉलेज से बी०एड० करने पर 21.09.07 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान स्वीकृत, वर्तमान में इस प्रशिक्षण महाविद्यालय संबंधी परिवाद न्यायालय में लंबित, दिनांक-29.03.11 को जिला लेखा पदा० द्वारा मैट्रिक प्रशिक्षित का वेतनमान एवं ग्रेड पे 4200 सत्यापित, पूर्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक सहरसा एवं जिला शिक्षा अधीक्षक, मधेपुरा के पत्र का हवाला देकर स्नातक प्रशिक्षित वेतनमान 5500-9000 में वेतन भुगतान किया गया। जाँच का विषय

कार्यक्रम पदाधिकारी
-सह-
सदस्य, प्रोन्नति समिति, मधेपुरा

कार्यक्रम पदाधिकारी
नगर परिषद्, मधेपुरा
-सह-
सदस्य, प्रोन्नति समिति, मधेपुरा

जिला अनुसूचित कल्याण पदाधिकारी
-सह-
सदस्य, प्रोन्नति समिति, मधेपुरा

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)
-सह-
सचिव, प्रोन्नति समिति, मधेपुरा

जिला शिक्षा पदाधिकारी
-सह-
अध्यक्ष, प्रोन्नति समिति, मधेपुरा

Annexure B

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, मधेपुरा

(स्थापना शाखा)

पत्रांक 1321

प्रेषकः

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
स्थापना, मधेपुरा।

सेवा में,

1. श्री अजय प्रसाद,
   सहायक शिक्षक म0वि0 भदौल, प्रखंड - मधेपुरा,
2. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी,
   चिन्हित आदर्श म0 वि0, भिरखी बाजार, मधेपुरा।

मधेपुरा, दिनांक 10/9/12

विषयः सी0 डब्लू0 जे0 सी0 - 10403/2012 अजय प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य मे पारित न्यायदेश दिनांक 22.06.2012 के आलोक में मामले की सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सी0 डब्लू0 जे0 सी0 - 10403/2012 अजय प्रसाद बनाम राज्य सरकार एवं अन्य पारित न्यायदेश दिनांक 22.06.2012 के आलोक में मामले की सुनवाई दिनांक 24.09.2012 को 11 बजे पूर्वाह्न में तिथि एवं समय निर्धारित की गई है।

अतएव सुनवाई की निर्धारित तिथि को अपने-अपने साक्ष्य एवं अभिलेख के साथ अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय वैश्म में उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
स्थापना, मधेपुरा।

10/9/12

P